न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—304/2016/225 (2016/00304)

1. अरूण कुमार पुत्र हरिप्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, हाल नोखा रोड़, बाल बाड़ी के सामने, चौधरी बास, बीकानेर । (मृतक)— जरिये वारिसानः—
   1/1— सुनिता देवी पत्नी स्व0 अरूण कुमार,
   1/2— पूजा शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार,
   1/3— अर्चना शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार, आयु 18 वर्ष
   1/4— अव्यस्क वन्दना शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार, आयु 15 वर्ष,
   1/5— अव्यस्क संध्या शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार, आयु 14 वर्ष,
   1/6— अव्यस्क अंजनी शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार, आयु 10 वर्ष,
   1/7— अव्यस्क छवि शर्मा पुत्री स्व0 अरूण कुमार, आयु 6 वर्ष
   अपीलांट संख्या 1/4 से 1/7 नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती सुनिता देवी पत्नी स्व0 अरूण कुमार, जाति ब्राहमण, नि0 जैन पी.जी. कॉलेज के पीछे, विश्वकर्मा कॉलोनी, रामदेव मंदिर के पास, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर ।
2. श्रीमती सुधा पुत्र स्व0 हरिप्रसाद पत्नी ओमप्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भागचंद पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।
2. मुस्मात सरला देवी बेवा जगदीश प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. पुरूषोत्तम पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. दामोदर पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर ।
5. सुरेशचन्द पुत्र छगनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. मुस्मात छोटी बेवा छगनलाल, जाति ब्राहण, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
7. रामेश्वर पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रारी, तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर ।
8. श्रीमती शशि पुत्री स्व0 हरिप्रसाद पत्नी चन्द्रशेखर काकड़ा, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
9. नन्दलाल पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
10. खेमराज पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
11. सत्यनारायण पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम रारी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रेस्पोडेंटस

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।
13. उप पंजीयक, किशनगढ़ जिला अजेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 41/2014.

उपस्थितः—

1. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री प्रेम प्रकाश, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 7 व 9 से 11.
4. रेस्पो0 संख्या 8 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 12 व 13.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 20.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 18.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आपस में रक्त संबंधी होकर सुवालाल पुत्र अम्बालाल के वंशज है । प्रार्थीगण के दादा सुवालाल पुत्र अम्बालाल के अधिकार, खातेदारी की ग्राम रारी, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में कृषि भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा किस्म 45 बीघा 13 बिस्वा बारानी द्वितीय एवं 5 बीघा 17 बिस्वा बंजड़ प्रथम, खसरा संख्या 54 रकबा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 55 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा किस्म 4 बीघा 11 बिस्वा चाही द्वितीय, 6 बीघा 7 बिस्वा चाही प्रथम एवं 17 बिस्वा बंजड़ प्रथम थी । प्रार्थीगण के दादा सुवालाल पुत्र अम्बालाल का निर्वसियती देहावसान होने से उपरोक्त सुवालाल के 6 पुत्र कमशः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 के पिता हरिप्रसाद, अप्रार्थी संख्या 3 पुरूषोत्तम, अप्रार्थी संख्या 4 दामोदर व अप्रार्थी संख्या 7 रामेश्वर, अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं 2 के पति जगदीश प्रसाद एवं अप्रार्थी संख्या 5 के पिता अप्रार्थी संख्या 6 के पति छगनलाल प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्से का नामांतकरण संख्या 31 दिनांक 1.6.1964 को दर्ज किया गया । उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 के पिता हरिप्रसाद पुत्र सुवालाल की स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी विरासत से प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 उपरोक्त हरिप्रसाद के 1/6 हिस्से में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार पुश्तैनी सम्पति में जन्म से हित, अधिकार रखते है । उपरोक्त हरिप्रसाद के 1/6 हिस्से में से 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हिस्से का वादी संख्या 1, इसी प्रकार वादी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 8 उपरोक्त भूमि में 3/24 हिस्से का उत्तराधिकार, हितधारण रखते है । प्रार्थीगण के पिता को उपरोक्त पारिवारिक पुश्तैनी सम्पति को बिना कारण के संपूर्ण भूमि का हकत्याग किये जाने के अंतरण किया जाना विधि अनुसार अनुज्ञात नहीं है । प्रार्थीगण के पिता भोले भाले होकर अपने भाईयों के प्रभाव में रहते थे । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने जानबूझकर दुराशय दुर्भावना से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 8 को अधिकारों से वंचित करने के लिए दिनांक 30.9.2002 को दिखावटी रूप से निम्न हकत्याग विलेख अलग–अलग रूप से निष्पादित करवाये जिसमें उपरोक्त खसरा नंबर 9 का हकत्याग विलेख अप्रार्थी संख्या 3 ने स्वंय के पक्ष में एवं खसरा संख्या 54 व 55 का हकत्याग विलेख अप्रार्थी संख्या 4 ने स्वंय के पक्ष में दिखावटी रूप से निष्पादित करवाया जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 के हितों के विरूद्ध जन्म से शून्य व निष्प्रभावी है । प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि में अपने पिता से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत प्राप्त अधिकारों के अनुक्रम में प्रत्येक वादी 1/24 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 8 के 1/24 होने बाबत् अनुतोष चाहा । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 18.5.2016 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से मनमाने पूर्वक राजीनामे के स्थान पर उपरोक्त आदेश पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है । यह संस्वीकृत पहलू रहा है कि वाद अधीन भूमि पुश्तैनी होकर अपीलांटस के दादा सुवालाल पुत्र अम्बालाल के अधिकार, मिल्कियत की थी एवं यह पहलू भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित था कि उपरोक्त भूमि में अपीलांटस का हित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रभावी प्रावधानों के अनुसार जन्म से अन्तरनिहित करता था । योग्य अधी0न्याया0 ने अपने आप ही स्वःप्रेरणा से भूमि की विक्रय राशि 10,000/– व 5,800/– रूपये अवधारित कर केवल प्रत्यर्थी को लाभान्वित करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि प्रकरण प्रत्यर्थी संख्या 8 की तलबी में नियत था । अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 सहित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों को दृष्टिगत नहीं कर, माननीय राजस्व मण्डल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को जानबूझकर दृष्टिगत नहीं कर, उपरोक्त एकपक्षीय समरूप आदेश पारित किया है । योग्य अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को उसका पक्ष अधिवक्ता के जरिये प्रस्तुत किये जाने बाबत् कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की पुश्तैनी सम्पति के बाबत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू के रहते हुए भी उन्हें दृष्टिगत नहीं कर, उक्त बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं कर, सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है एवं आदेश में अंकित किया है कि अपीलांटस द्वारा वाद में जो बिन्दु प्रकट किये है उनका अवधारण मूल वाद में किया जावेगा । इस पहले के रहते हुए उपरोक्त आदेश प्रथमदृष्टया ही विधिक दृष्टिकोण से एकपक्षीय, एवं मनमाना है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 9, 54,

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

55 में प्रत्यर्थी संख्या 3 हिस्से 2/9 की, प्रत्यर्थी संख्या 4 हिस्से 2/9 को किसी भी रूप में अन्तरित, भारग्रस्त खुर्दबुर्द नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि खसरा नंबर 709 में निहित हिस्से का सहखातेदार हरिप्रसाद पुत्र सुवालाल द्वारा अन्तरण/हस्तातंरण /हकत्यागपत्र बाबत् रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 30.9.2002 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित किया है एवं खसरा नंबर 54 व 55 में निहित हिस्से का अंतरण/हस्तातरंण/हकत्याग रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा दिनांक 30.9.2002 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों की पालना में नामांतकरण संख्या 134 दिनांक 6.11.2002 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में तथा नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 6.11.2002 अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में नामांतकरण स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेजात की आज दिनांक तक किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई है । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है,। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 पार्ट–2 पेज 1439, डी0एन0जे0 2013 रेवेन्यू पेज 18, डी0एन0जे0 2015 रेवेन्यू पेज 59, आर0आर0टी0 2016 पार्ट 1 पेज 623, आर0आर0टी0 2009 पार्ट 2 पेज 729 सुप्रीम कोर्ट, डब्ल्यू0एल0सी0 2006 सुप्रीम कोर्ट सिविल पेज 28 एवं डी0एन0जे0 1996 रेवेन्यू पेज 12 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांटस ने विवादित आराजियात पैतृक होने के आधार पर अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया है । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि पत्रावली नियमित सुनवाई के रहते हुए दिनांक 18.5.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट सरगांव में राजीनामे बाबत् नियत की गई थी किन्तु दिनांक 18.5.2016 को अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 18.5.2016 को निर्णित किया है, जब अपीलांटस ने विवादित आराजियात पैतृक होने के के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है तो अधी0न्याया0 को अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर